नगर पालिक निगम, रायपुर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के संबंध में जनसामान्य हेतु जानकारी

क्रमांक	विवरण	उत्तर
1.	गीला, सूखा एवं घरेलू खतरनाक कचरा क्या है?	**गीला कचरा** – रसोई का सारा कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय, फल, बचा हुआ भोजन, पेड़ के सूखे पत्ते आदि (प्रकृति निर्मित)। **सूखा कचरा** – कागज, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, स्टायरोफोम, रबर, धातु, खाद्य पैकेजिंग सामग्री, एल्यूमीनियम टेट्रा पैक इत्यादि। (मानव निर्मित) **घरेलू खतरनाक कचरा** – सीएफएल लाईट, ऑटो बैटरी, पेंट के डब्बे आदि। **सेनेटरी वेस्ट** – उपयोग किये हुये डायपर, सेनेटरी नेपकीन।
2.	गीला, सूखा कचरा अलग–अलग क्यो करना चाहिये?	गीला, सूखा कचरा अलग–अलग करने से कचरे के प्रबंधन तथा पुर्नउपयोग हेतु प्रक्रिया आसान तरीके से किया जा सकता है। जैसे – गीले कचरे से खाद निर्माण, प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक के नवीन सामग्री बनाने हेतु कच्चा माल निर्माण।
3.	गीला, सूखा कचरा कौन–कौन रंग के डब्बे में देना चाहिये ?	गीला कचरा – हरे रंग के डस्टबिन में। सूखा कचरा – नीले रंग के डस्टबिन में। घरेलू खतरनाक कचरा /सेनेटरी वेस्ट – लाल या काले रंग के डस्टबिन में।
4.	नागरिको को डस्टबिन कौन देगा ?	नागरिको को डस्टबिन की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
5.	सोसायटी एवं फ्लैट जैसे परिसरो से कचरा किस प्रकार लिया जाये ?	सोसायटी एवं फ्लैट परिसरो में से नियम अनुसार सिंगल पांईट से कचरा लिया जाना है उक्त कलेक्शन पांईट तक सोसायटी/ फ्लैट परिसर के प्रत्येक परिवार से कचरा एकत्रित कर पहुचाने की जिम्मेवारी संबंधित सोसायटी/ फ्लैट परिसर के रहवासी संघ की है। इस हेतु क्लेक्शन पॉइंट की स्थापना किया जावें, जहाँ कचरे को अलग–अलग रखने की व्यवस्था हो जहॉ से कचरा कलेक्शन गाड़ी को दिया जायेगा।
6	व्यवसायिक शॉपिंग काम्पलैक्स एवं मॉल जैसे परिसरो से कचरा किस प्रकार लिया जाये ?	व्यवसायिक शॉपिंग काम्पलैक्स एवं मॉल परिसरो में से नियम अनुसार सिंगल पांईट से कचरा लिया जाना है उक्त कलेक्शन पांईट तक व्यवसायिक शॉपिंग काम्पलैक्स एवं मॉल परिसर के प्रत्येक व्यवसायी से कचरा एकत्रित कर पहुचाने की जिम्मेवारी संबंधित व्यवसायिक शॉपिंग काम्पलैक्स एवं मॉल की है। इस हेतु क्लेक्शन पॉइंट की स्थापना किया जावें, जहाँ कचरे को अलग–अलग रखने की व्यवस्था हो जहॉ से कचरा कलेक्शन गाड़ी को दिया जायेगा।

7.	कचरा गाड़ी नही आने की स्थिति मे नागरिक किससे शिकायत करें ?	टोल फ्री नम्बर – 1100 एवं 18002709992 शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
8.	कचरा गाड़ी की लोकेशन देखने तथा मेरे घर/दुकान कब पहुचेगी यह कैसे पता चलेगा ?	क्लीन सिटी रायपुर एप (Clean city raipur app) जो कि गूगल प्ले स्टोर पर निशुक्ल उपलब्ध है की मदद से आपके क्षेत्र के गाड़ी की लोकेशन देखी जा सकती है।
9.	गीला एवं सूखा कचरा, अलग–अलग नहीं देने पर क्या होगा ?	प्रथम बार में 100 रू, एवं द्वितीय बार में 200 रु का जुर्माना किया जावेंगा ।
10.	क्या दुकानो में भी डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा ?	हॉ, शहर के समस्त दुकानों में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
11.	अगर मै कचरा नाली या सड़क पर फैक दूॅ तो क्या होगा ?	कचरे को खुले में फेकने अथवा जलाने पर प्रथम बार में 500 रू, एवं द्वितीय बार में 750 रू का जुर्माना किया जावेंगा ।
12.	कचरा गाड़ी मेरे घर के क्षेत्र में आई परन्तु मै किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण कचरा नही दे पाया अब क्या गाड़ी दुबारा आयेगी ?	ऐसी स्थिति में कचरा डस्टबिन में ही रखे एवं दूसरे दिन कचरा गाड़ी वाले को देवें।
13.	मैं सड़क पर छोटी सी गुमटी लगाता हूॅ तो क्या मुझे भी कचरा कलेक्शन सभी नियम मानना आवश्यक है ?	स्ट्रीट वेंडर जैसे ठेले, खोमचें, गुमटी, अस्थायी दुकान लगाने वाले को भी गीला–सूखा कचरा अलग–अलग कर गाडी वाले को देना होगा तथा इसके लिये डस्टबिन की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। ऐसा नही करने प्रथम बार में 200 रू, एवं द्वितीय बार में 400 रू का जुर्माना किया जावेंगा ।
14.	होटल तथा रेस्टोरेंट से भी अलग–अलग कचरा लिया जाना है क्या ?	हॉ, समस्त होटल एवं रेस्टोरेंट से भी गीला तथा सूखा कचरा अलग–अलग कचरा गाड़ी को दिया जाना है। पालन नही करने पर प्रथम बार में 2000 रू, एवं द्वितीय बार में 3000 रू का जुर्माना किया जावेंगा ।
15.	मेरे परिसर से प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है तो इसका निपटान कैसे किया जाना है ?	जिस परिसर से प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है वो बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते है, ऐसे परिसरों में गीले कचरे का प्रसंस्करण स्वयं के व्यय पर किया जाना है। अतः इस हेतु सामान्य कम्पोस्ट पिट अथवा कम्पोस्टिंग मशीन की स्थापना की जाये।
16.	कचरा गाड़ी के हैल्पर घर के भीतर से कचरा उठाकर गाड़ी में क्यो नही ले जाते ?	कचरा उत्पादनकर्ता को अपने कचरे को अलग–अलग कर कचरा गाड़ी को देना है।
17.	कचरा गाड़ी में कचरा देने हेतु मुझे कचरा गाड़ी वाले कर्मचारी को कुछ शुल्क देना है क्या ?	कचरा घर–घर से एकत्रित करने के एवज में आवासीय एवं गैर आवासीय ईकाईयों के लिये उपभोक्ता शुल्क /यूजर चार्ज छ.ग. शासन द्वारा राजपत्र में निर्धारित किया गया है, जिसे नगर पालिक निगम, रायपुर में जमा किया जाकर रसीद प्राप्त की जा सकती है।